<u>बजट सम्बन्धी मामला</u>
<u>समयबद्ध</u>

फिन-ए-सी(6)-2/2024
हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (बजट) विभाग

प्रेषक:

प्रधान सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला – 171002.

प्रेषित:

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
   हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला-171002, 29/07/2024

विषय: **वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमानों तथा चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित बजट अनुमानों को समय पर वित्त विभाग को भेजने बारे।**

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान तैयार करने का कार्य वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में शुरू कर दिया जाता है। इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान निर्धारित समय से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग को प्रेषित किये जाएँ:-

1. बजट अनुमान तैयार करने के संदर्भ में, हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 अध्याय-3 "बजट निरूपण और कार्यान्वयन" के नियम 28(3), 30 और 31(4) के अनुरूप इन अनुमानों को तैयार करने के लिए विवरणिकाएं तैयार करने हेतु सरकार द्वारा तैयार किये गए प्रपत्र विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
2. विकासात्मक योजनाओं के लिए योजना विभाग नवम्बर माह में विभिन्न विभागों के साथ बैठकों का आयोजन करेगा तथा तदोपरांत विभागीय सीमा निर्धारित की जाएगी। तदानुसार विभाग निर्धारित प्रपत्र पर वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्ताव दिनांक 30.11.2024 तक इस विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
3. स्थाई और अस्थाई पदों को नव व्यय अनुसूची में शामिल करने के लिए पदों का नाम, वेतनमान तथा उनके सृजन सम्बन्धी लेखा शीर्षों का स्कीमवार विवरण दिया जाना आवश्यक है। जिन पदों का स्थायीकरण कर दिया गया है, उनका प्रावधान नव व्यय अनुसूची में न मांगकर भाग-1 में माँगा जाना चाहिए तथा स्थायीकरण आदेशों की मूल/ छाया प्रतियां भी आवश्यक रूप से इस विभाग के अभिलेखार्थ आवश्यक रूप से संलग्न की जानी चाहिए।
4. नोमिनल रोल "वेतन" मद में वास्तविक प्रावधान करने के लिए आवश्यक है तथा पदों से सम्बन्धित सूचना के लिए उत्तरदायित्व विभागाध्यक्षों का होता है क्योंकि भविष्य में पदों से सम्बन्धित <u>सूचना/विवरण</u> के लिए बजट दस्तावेज ही प्रमाणित दस्तावेज होता है। नोमिनल रोल में पदों की संख्या के साथ-साथ पदों का नाम तथा उनके सृजन सम्बन्धी मुख्य शीर्ष, उनका मूल वेतन, पदों का उद्धरण खाली पदों सहित सही व अपेक्षित व्यय के साथ दर्शाया जाना चाहिए। अत: यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित बजट प्रस्ताव के साथ स्थाई/अस्थाई स्वीकृत पदों का विवरण सत्यापित करके उपलब्ध करवाएं।
5. चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान में अगर भिन्नता हो तो उसके वास्तविक कारणों का स्पष्ट एवं संक्षिप्त उल्लेख किया जाना चाहिए तथा ऐसी ही प्रक्रिया चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों व आगामी वर्ष के अनुमानों में आई भिन्नता हेतु भी अपनाई जानी चाहिए।
6. कार्यसूची तैयार करते समय पूर्ण हो चुकी स्कीमों को कार्यसूची से हटा दिया जाना चाहिए तथा जिन योजनाओं पर पिछले तीन वर्षों से कोई व्यय नहीं हुआ है, उनको अगले वित्त वर्ष के दौरान कार्यसूची में जारी

रखने हेतु पूर्ण औचित्य भी अलग से इस विभाग को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए अन्यथा इन्हें अगले वर्ष की कार्यसूची में शामिल करना सम्भव नहीं होगा ।

7. राज्य बजट, पूंजी व्यय एवं राजस्व व्यय में वर्गीकृत किया गया है और मांग संख्या-31 (जनजातीय विकास कार्यक्रम) से सम्बंधित बजट अनुमान व संशोधित अनुमान के प्रस्ताव जनजातीय विकास विभाग तथा मांग संख्या-32 (अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम) से सम्बंधित बजट अनुमान व संशोधित अनुमान के प्रस्ताव अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से अक्षम का सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से इस विभाग को समेकित रूप से भेजे जाने चाहिए । मांग संख्या-24 (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अंतर्गत बजट अनुमानों के प्रस्ताव भी इस विभाग को अलग से भेजे जाएं ताकि इन अनुदान मांगो के अंतर्गत बजट अनुमान तैयार करते समय कोई असुविधा न हो ।
8. विगत वर्षों में यह देखा गया है कि कुछ विभागों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का ध्यान नहीं रखते हुए आधी-अधूरी सूचनाएं ही वित्त विभाग को भेजी जाती हैं । आपसे अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ सभी सम्बंधित अधिकारीयों/कार्यालयों को कड़े निर्देश जारी करके यह सुनिश्चित करने की कृपा करें कि बजट प्रस्ताव (बजट अनुमान 2025-26 तथा संशोधित अनुमान 2024-25 के प्रस्ताव) उपरोक्त सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही इस विभाग को प्रेषित करें । विभाग गैर विकासात्मक स्कीमों का बजट दिनांक 10.10.2024 तक और विकासात्मक स्कीमों के बजट अनुमान दिनांक 30.11.2024 तक योजना विभाग के साथ बैठक उपरान्त इस विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें ।

कृपया मामले को प्राथमिकता दें ।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या: फिन-ए-सी(6)-2/2024 **दिनांक शिमला – 171002** 29/07/ **2024**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (जनजातीय विभाग) हि०प्र०, शिमला-171002 को इस अनुरोध के साथ कि अनुदान मांग संख्या-31 (जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम) की नव व्यय अनुसूची में भाग-II के विकासात्मक बजट को संग्रहित करके इस विभाग को निर्धारित अवधि के भीतर भेजना सुनिश्चित करें ।
2. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से अक्षम का सशक्तिकरण विभाग, हि०प्र० शिमला-171009 को इस अनुरोध के साथ कि अनुदान मांग संख्या-32 (अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम) की नव व्यय अनुसूची में भाग-II के बजट अनुमान संग्रहित करके इस विभाग को निर्धारित अवधि के भीतर भेजना सुनिश्चित करें ।
3. वरिष्ठ उप-महालेखाकार (ले०व०ह०), हि०प्र० शिमला-171003 को इस अनुरोध के साथ कि मुख्य शीर्ष 2049 तथा 2071 के अंतर्गत बजट अनुमान विस्तृत विवरण सहित इस विभाग को निर्धारित अवधि के भीतर भेजने की कृपा करें ।
4. सम्बंधित सहायक (वित्त-क अनुभाग और वित्त-छ अनुभाग), हि०प्र० सचिवालय, शिमला-171002 को इस आशय के साथ प्रेषित है कि निर्धारित समयावधि पर विभागों से बजट अनुमान प्रस्ताव प्राप्त न होने की स्थिति में वह सम्बंधित विभागों से अपने स्तर पर भी सम्पर्क/पत्राचार कर सूचना मंगवाना सुनिश्चित करें ।

(प्रदीप कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

Form for submission of Budget Estimates for Next Financial Year and Revised Estimates for Current Financial Year of Receipts under Rules 30 of the Himachal Pradesh Financial Rules, 2009.

Major Head/Sub Major Head/ Minor Head/ Sub Minor Head	Actuals of last three Years			Budget Estimates for the CFY	Actuals for first four months/latest Actuals	Anticipated receipt for last eight/ balance months	Total anticipated receipt for the CFY	Variation between Sanctioned Budget and revised estimates (Column No. 5 & 8)	Reason for variation between Sanctioned Budget and revised estimates (Column No. 5 & 8) must be recorded	Estimates for Next financial year	Variation between revised Estimates and Next financial year's Budget Estimates (Column No. 8 & 11)	Reasons for variation between Column No. 8 & 11 (must be recorded)
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Form-A

Form for submission of Revised Estimates for current financial year and Budget Estimates for the next financial year under Rule 31(4) of the H.P. Financial Rules, 2009

Name of Scheme	S.O.E.	Actuals for the last 3 years			Sanctioned Budget for CFY	Latest Actuals / Actuals for first four months	Requirement for balance months/eight months	Total requirement for CFY	Variation (6-9)	Reason for variation between Column No. 6 & 9 (Must be recorded)	Budget Estimates for Next Financial Year	Reasons for variation between column No. 9 & 11 (Must be recorded)
		Year	Year	Year								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Part-I)												
Total												
(Part-II)												
Total												

									Form-B
Form for submission of Revised Estimates for current financial year and Budget Estimates for the next financial year under Rule 31(4) of the H.P. Financial Rules, 2009.									
Major Head/Sub-Major Head/Minor Head/Sub-Minor Head wise abstract nominal Roll for Current Financial Year									
Abstract of Nominal Roll Demand No.				Name of Scheme/Sub head			for the year	(Part-I)	
Name of Posts/ Category	No. of Sanctioned Posts	No. of filled up posts	No. of Vacant Posts	Dying Cadre Yes/No	Number of Posts created during the year	Number of posts abolished during the year	Number of likely retirements during the year	Pay Band	Total Salary
	Total								

									Form-B
Form for submission of Revised Estimates for current financial year and Budget Estimates for the next financial year under Rule 31(4) of the H.P. Financial Rules, 2009.									
Major Head/Sub-Major Head/Minor Head/Sub-Minor Head wise abstract nominal Roll for Current Financial Year									
Abstract of Nominal Roll Demand No.				Name of Scheme/Sub head			for the year	(Part-II)	
Name of Posts/ Category	No. of Sanctioned Posts	No. of filled up posts	No. of Vacant Posts	Dying Cadre Yes/No	Number of Posts created during the year	Number of posts abolished during the year	Number of likely retirements during the year	Pay Band	Total Salary
	Total								